

न्यायालय उप रजिस्ट्रार अधिकारी कुंभुूर (राजग)
पीठासीन अधिकारी: श्री लेश रवे रवा
मुकदमा नं० - 42/2019 (आर. ए. एम)

1. मधीपाल पुत्रगण स्व० पुन्नीलाल उर्फ पुन्नाराम पाणिजाट
2. सत्पम्पाल निवामी गैडर की ढाणी (उत्तरी) नदमीला व जिला कुंभुूर
- ढाणास - वादीगण

1. सावर मल पुत्रगण गैरराम पाणि जाट निवामी गैडर की
2. सिन्धुपाल ढाणी (उत्तरी) नदमीला व जिला कुंभुूर
3. विद्याधर सिंह
4. शान्ति पुत्रिमा गैरराम पाणि जाट निवामी
5. गज्जडा उर्फ नानीबाई गैडर की ढाणी (उत्तरी) नदमीला व
6. चाकिरी जिला कुंभुूर।

7. नरबाडा स्त्री सुरेश पाणि समस्त जाट निवामी गैडर
8. अमिषेक पुत्र की ढाणी (उत्तरी) नदमीला व जिला
9. प्रिमका पुत्री कुंभुूर।
10. छिनी पुत्री

11. चारवण पुत्र अर्जुन पाणि जाट निवामी गैडर की
12. कामला स्त्री मनीराम ढाणी (उत्तरी) नदमीला व जिला
13. संदीप पुत्र मनीराम कुंभुूर।
14. नेगी चन्द पुत्र गिरधारी पाणि जाट निवामी गैडर की ढाणी
उत्तरी) नदमीला व जिला कुंभुूर।

15. अंबु पुत्री महीराम पाणि जाट निवामी गैडर की ढाणी
16. प्रिमका पुत्री महीराम उत्तरी) नदमीला व जिला -
17. रामचतार पुत्र महीराम कुंभुूर।

18. लैक ऑफ इण्डिया शाखा पुरोहिते की ढाणी नदमीला व
जिला कुंभुूर पारिमे शाखा मूलनद।
19. देजाव नेशनल लैक शाखा कुंभुूर पारिमे शाखा प्रबन्धक

20. सरवाती पुत्रीमा गिरधारी पाणि जाट निवामी गैडर
21. शारदागारी की ढाणी (उत्तरी) नदमीला व जिला कुंभुूर।
22. राजस्थान-सरकार अधिकारी पारिमे नदमीला व जिला कुंभुूर

- परिवादीगण

4
मुकदमा नं० (राजग)

अज अदालत सुपर पंच अधिकाारी मुकाम खेडर
 नं. २७८७ बनाम शहर मल धर
 किसम मुकदमा २७८७ मु. नं. ७२/२०१९ सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुक
	<p><u>उपस्थित अधिकाारी -</u> 1. <u>शहरी पुनिषा अधिकाारी - वादीगण की ओर से -</u> <u>- डाया वागत घोषणा एट चार्ज निवेदन।</u></p> <p><u>निवेदन</u> दिनांक २०/६/२२</p> <p>वाड वादीगण दिनांक ०७-३-२०२२ को - प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खेडर को गौका कमिश्नर निभुवन कारवाला १/गाम समसपुर की पूर्ण अधिकि हालत रफ्त कर ५७५ नकला ०.०५ हे०, रफ्त कर ५७५ इकमा ५.८० हे० में वाड-पत्र की द्वारा क रफ्त कर के आडुमार - पक्षकारों की भौखुदगी के पक्षकारों के घोषिते हक व हिस्से के अनुसार उनके मध्य गौतिक रूप में लरपारा कर लरपारा का प्रस्ताव ३६ गोपाल के ७ दिना में निषकाने तेलु आदेशित किया गया था। तहसीलदार खेडर द्वारा अपने पत्रांक १ २६६५/२०२२/५५५ दिनांक २६-५-२०२२ के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है विभाजन प्रस्ताव पर वातक लकीका पक्षकारों मुनीगई लकीका पक्षकारों के सुनायेके विभाजन प्रस्ताव वाड स्वीकार कर आन्तेम रूप में डिस्कोरिफ पार्क पर महगति वाकर करी है विभाजन</p>	

(Handwritten signature and stamp)

(2)

पहलाय सुनायिक पापुकेक विवेक के अनुसार ही
उक्त स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित है।

आदेश

उक्त वादीगण सुनायिक विभाजन अनुसार स्वीकार
किया जाना अस्मि रूप में डिप्टी किया जाना है।
विभाजन अनुसार विवेक व डिप्टी का भाग रहेगा।
तलमोमदा सुदुगु का आदेशित किया जाना है।
कि वह सुनायिक विभाजन अनुसार के अनुसार -
भाफलद रिमांड के शामिल-दस्तावेज कर पालना करे।
अथवा पक्षकारात शरण-2 वरत करी नदुमा
अथवा डिप्टी जारी है। पलायली के मल सुमा
दोषा दर्ज नम्बर के कर है एक वाड नकमील
दादिका दस्ता है। आदेश जारी दिनांक 20-6-
22 को मुले न्यायालय मुनाया गया।


